श्री गोविन्दराम सेकसरिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान
23, पार्क रोड, इंदौर (म.प्र.)

शासी निकाय की 125वीं बैठक का

कार्यवृत्त (Minutes)

बैठक दिनांक	:	20 / 02 / 2024
दिन	:	मंगलवार
समय	:	अपरान्ह 5.00 बजे से
स्थान	:	वीबी–3, कक्ष .326 मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

संस्थान के शासी निकाय की 125वीं बैठक की प्रस्तावित कार्यसूची

मद क्रमांक	मद विवरण
मद क्र.125–01	संस्थान के शासी निकाय की संरचना के अनुसार शासी निकाय का दिनांक 28.12. 2021 से तीन वर्ष के लिए पुनर्गठन का अनुमोदन।
मद क्र.125–02	संस्थान की प्रबंधन समिति, वित्त समिति एवं परिवेदना समिति के पुर्नगठन का अनुमोदन।
मद क्र.125–03	संस्थान के शासी निकाय की 123वीं बैठक दिनांक 30/8/2019 का पुष्टिकरण ।
मद क्र.125–04	संस्थान के शासी निकाय की 123वीं बैठक दिनांक 30/08/2019 के कायवृत्त में लिये गये निर्णयों पर संस्थान द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण।
मद क्र.125–05	संस्थान के शासी निकाय की 124वीं असाधारण बैठक दिनांक 8 अप्रैल, 2021 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।
मद क्र.125–06	संस्थान के शासी निकाय की 124वीं असाधारण बैठक दिनांक 8 अप्रैल, 2021 में लिये गये निर्णयों पर संस्थान द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण।
मद क्र.125–07:	संस्थान की वित्त समिति की 70वीं बैठक दिनांक 08/04/2022 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।
मद क्र.125–08:	संस्थान की वित्त समिति की 71वीं बैठक दिनांक 05/04/2023 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।
मद क्र.125–09:	संस्थान के निदेशक के पद हेतु विज्ञापन कर एवं इस हेतु की गई अब तक की कार्यवाही का पुष्टिकरण।
मद क्र.125–10:	संस्थान के असिस्टेंट प्रोफेसर के अतिरिक्त पदों की स्वीकृति एवं भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने से अब तक की कार्यवाही का पुष्टिकरण।
मद क्र.125–11:	संस्थान में वर्ष 2016 में नियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर के परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के उपरान्त किये गये नियमितीकरण का कार्योत्तर अनुमोदन ।
मद क्र.125–12:	संस्थान में आवश्यकतानुसार तकनीकी एवं गैर शिक्षक रिक्त पदों की भर्ती हेतु प्रक्रिया प्रारंभ करने का अनुमोदन ।
मद क्र.125–13:	संस्थान में पूर्व में आकस्मिकता (contingency) के अन्तर्गत नियुक्त कर्मचारियों को उनकी पात्रता दिनांक या प्रथम नियुक्ति दिनांक से तीन वर्ष उपरान्त नियमित करने का कार्योत्तर अनुमोदन ।
मद क्र.125–14:	संस्थान के समस्त गैर शिक्षक कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन द्वारा लागू समयमान वेतनमान का लाभ दिये जाने का कार्योत्तर अनुमोदन।
मद क्र.125–15:	संस्थान में संविदा आधार पर पूर्व में कार्यरत गैर शिक्षक कर्मचारियों के नियमितीकरण का कार्योत्तर अनुमोदन ।
मद क्र.125–16:	संस्थान परिसर में श्री गोविंदराम सेकसरिया जी की मूर्ति स्थापना करने के संबंध में प्रस्ताव ।
मद क्र.125–17:	संस्थान में संविदा आधार पर कार्यरत प्राध्यापकों के समेकित वेतन में बढ़ोतरी हेतु प्रस्ताव ।
मद क्र.125–18:	संस्थान में अनुकम्पा पर नियुक्त कर्मचारियों की नियुक्ति दिनांक से नियमानुसार नियमित वेतनमान में नियुक्ति दिये जाने का कार्योत्तर अनुमोदन।
मद क्र.125–19:	संस्थान के विकास हेतु देश एवं विदेश के एलुमिनी के द्वारा दिये जाने वाले वित्तीय योगदान के अन्तर्गत कारपस फण्ड के रूप में एकाउण्ट खोलने हेतु प्रस्ताव ।
	अध्यक्ष की अनुमति से रखे गये अन्य मद
मदक्र.125–20–1:	संस्थान में शोधरत पीएचडी छात्रों से लिये जा रहे शिक्षण शुल्क में कमी किये जाने बाबत प्रस्ताव

श्री गोविंदराम सेकसरिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, इंदौर (म.प्र.)

संस्थान के शासी निकाय की 125वीं बैठक दिनांक 20/02/2024 का कार्यवृत्त

संस्थान के शासी निकाय की 125वीं बैठक मंगलवार, दिनांक 20/02/2024 को शाम 5.00 बजे से वीबी–3, ..कक्ष क्रमांक–326, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल में माननीय श्री इन्दरसिंह परमार, मंत्री, तकनीकी शिक्षा विभाग,मध्यप्रदेश शासन एवं पदेन अध्यक्ष, शासी निकाय, एस.जी.एस.आय.टी.एस. इंदौर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। शासी निकाय के निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्थित थे ।

1. श्री इन्दरसिंह परमार,
माननीय मंत्री,
तकनीकी शिक्षा विभाग,
म0प्र0 शासन, वल्लभ भवन, भोपाल– 462 004

2. श्री मनु श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव,
तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग,
मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल– 462 004

3. श्री ज्ञानेश्वर का. पाटील,
वित्त सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वल्लभ भवन,45
भोपाल– 462 004

4. डॉ. सुनील कुमार गुप्ता,
कुलगुरू,
राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
गांधी नगर, एयरपोर्ट बायपास रोड,
भोपाल – 462 036

5. प्रो. सुरेश कुमार,
प्रतिनिधि, विश्वविद्यालय अनुदानर आयोग, नई दिल्ली

6. श्री मनीष गुप्ता,
उद्योग प्रतिनिधि (म.प्र. शासन द्वारा नामित)
फलोदी कंस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायवेट लिमिटेड,
मनोरमागंज, इंदौर

7. डॉ. दीपक बी. फाटक,
सदस्य, श्री गो.से. टेक्नालॉजीकल सोसायटी, इंदौर
एक्स–प्रोफेसर,
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी,
बाम्बे,मुंबई–400 076

8. श्री अभयसिंह भरकतिया,
सदस्य, श्री गो.से. चेरिटेबल ट्रस्ट,
यशवंत निवास कॉलोनी,
यशवंत क्लब के पास, इंदौर

अविरत ..2/..

9. डॉ. मिलिंद दांडेकर,
शिक्षक प्रतिनिधि
प्रोफेसर, इण्डस्ट्रियल एण्ड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग विभाग,
श्री जी.एस.आय.टी.एस., इंदौर

10. श्री राजेश धाकड,
शिक्षक प्रतिनिधि,
एसोसिएट प्रोफेसर,
कंप्यूटर इंजीनियरिंग विभाग,
एसजीएसआयटीएस, इदौर

11. श्री कृष्णकांत धाकड,
असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, इण्डस्ट्रियल एण्ड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग विभाग,
श्री जी.एस.आय.टी.एस., इंदौर

12. श्री बी.के. बिलावर, – आमंत्रित सदस्य
अध्यक्ष, शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघ,
एस.जी.एस.आय.टी.एस., इंदौर

13. प्रो. राकेश सक्सेना,
निदेशक,
एस.जी.एस.आय.टी.एस., इंदौर – सदस्य सचिव

निम्न सदस्यों को बैठक में अनुपस्थित रहने के कारण अध्यक्ष द्वारा **Leave of absence** प्रदान किया गया ।

1. श्री मदन विभीषण नागरभोजे,
आयुक्त तकनीकी शिक्षा, म0प्र0,
सतपुड़ा भवन, चतुर्थ मंजिल,
भोपाल – 462 004

2. क्षेत्रीय अधिकारी,
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद,
रा.गा.प्रौ.वि.वि. परिसर, एयरपोर्ट बायपास रोड, भोपाल

3. जस्टिस पी.पी. नावलेकर,
अध्यक्ष, श्री गो.से. टेक्नालॉजीकल सोसायटी, इंदौर
सिविल लाईन्स, जबलपुर

4. श्री अशोक सर्राफ,
सदस्य, श्री गो.से. टेक्नालॉजीकल सोसायटी, इंदौर
501, वाटरफोर्ड बिल्डिंग, सेरेक्स,
बरफीवाला मार्ग, जुहू गली, अंधेरी वेस्ट,
मुंबई– 400 058

5. श्री नंदकुमार सेकसरिया,
सदस्य, श्री जी.एस. चेरिटेबल ट्रस्ट, इंदौर
139, सेकसरिया चेम्बर्स, नागिनदास मास्टर रोड,
मुंबई–400 001

अविरत ...3/..

6. इंजी. संदीप कंसल, – आमंत्रित सदस्य
प्रेसीडेंट एलुमिनी एसोसिएशन,
एस.जी.एस.आय.टी.एस., इंदौर

माननीय अध्यक्ष, शासी निकाय की अनुमति से सदन की कार्यवाही प्रारम्भ हुई । सदस्य सचिव द्वारा सभी का स्वागत कर बैठक प्रारम्भ की गई एवं सभी के परिचय देने के बाद बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई एवं निम्नानुसार निर्णय लिये गये:–

मद क्र. 125–01: संस्थान के शासी निकाय का दिनांक 28/12/2021 से आगामी तीन वर्ष के लिए गठन।

संस्थान निदेशक द्वारा बैठक के प्रारम्भ में शासी निकाय की संरचना एवं नामित सदस्यों की जानकारी दी गई। उन्होने बताया कि माननीय अध्यक्ष द्वारा मध्यप्रदेश शासन की ओर से श्री मनीष गुप्ता जी तीन वर्ष की अवधि के लिए शासी निकाय में उद्योग प्रतिनिधि–सदस्य के रूप में नामित किये गये हैं। उन्होंने सदन को अवगत कराया कि शासी निकाय की बैठक वर्ष 2019 में हुई थी उसके बाद कोरोना के कारण लाकडाउन होने से पिछली बैठक वर्ष 2021 में हुई थी । उन्होंने यह भी बताया कि बैठक की कार्यवाही की वाईस रिकार्डिंग की जाती है।

शासी निकाय की बैठक के प्रारम्भ में ही शासी निकाय के माननीय सदस्यों ने नियमित अंतराल में बैठक न होने और उससे उत्पन्न होने वाली स्थितियों पर गहरी चिंता व्यक्त की । अतः सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि चूंकि संस्थान के विकास के लिए शासी निकाय की बैठकें नियमित अंतराल में होना आवश्यक है इसलिए आगामी समय में शासी निकाय की हर तिमाही में एक बैठक होगी । इस तरह एक वर्ष में चार बैठकें होंगी जिनमें से अनिवार्यतः दो बैठकें इंदौर में होगी । इंदौर में होने वाली बैठकों में अध्यक्ष, शासी निकाय की व्यवस्तता या अनुलब्धता की स्थिति में शासी निकाय के उपाध्यक्ष (प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन) बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अन्य दो बैठकें भोपाल में शासी निकाय अध्यक्ष की उपलब्धता को देखते हुए आयोजित की जाएगी।

अतः यह भी निर्णय लिया गया कि संस्थान की प्रबंधन समिति की बैठकें भी समय समय पर कार्य की आवश्यकतानुसार होती रहनी चाहिए ताकि प्रकरण शासी निकाय की बैठक में रखे जाने की प्रत्याशा में अनावश्यक विलम्ब न हो ।

शासी निकाय की संरचना के अनुसार श्री गोविंदराम सेकसरिया टेक्नालॉजीकल सोसायटी, इदौर से तीन एवं श्री गोविंदराम सेकसरिया चेरिटी ट्रस्ट से दो सदस्यों के नाम नामित करने के लिए पत्र भेजा गया था । इसी प्रकार तीन शिक्षक प्रतिनिधियों (प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर) के चयन के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया सम्पन्न की गई थी । वर्तमान में यूजीसी से Co-opted Member के रूप में डॉ. सुरेश कुमार पांच वर्ष की अवधि के लिए अर्थात मई, 2024 तक नामित हैं। अन्य पदेन सदस्य एवं आमंत्रित सदस्य के रूप में है।

शासी निकाय की संरचना एवं नामित सदस्यों के नाम निम्नानुसार है:–

क्रमांक	शासी निकाय की संरचना	नामित सदस्य
01	माननीय मंत्री, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल	माननीय श्री इन्दरसिंह परमार पदेन अध्यक्ष
02	प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल	श्री मनु श्रीवास्तव, पदेन सदस्य

अविरत ...4

03	प्रमुख सचिव वित्त, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल	पदेन सदस्य
04	आयुक्त, तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल (म.प्र.)	श्री मदन विभाषण नागरभोजे पदेन सदस्य
05	कुलपति, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो प्रोफेसर श्रेणी से कम का नहीं है।	डॉ. सुनील कुमार गुप्ता पदेन सदस्य
06	यू.जी.सी. द्वारा नामित सदस्य	प्रो. सुरेश कुमार, नामित सदस्य
07	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा नामित सदस्य	क्षेत्रीय अधिकारी, अ.भा.तक.शि.प. भोपाल – पदेन सदस्य
08	म.प्र. शासन द्वारा नामित उद्योग प्रतिनिधि	श्री मनीष गुप्ता
09	श्री गोविंदराम सेकसरिया टेक्नालॉजीकल सोसायटी, इंदौर द्वारा नामित तीन सदस्य	(1) जस्टिस पी.पी. नावलेकर (2) डॉ. डी.बी. फाटक (3) श्री अशोक सर्राफ
10	श्री गोविंदराम सेकसरिया चेरिटी ट्रस्ट द्वारा नामित दो सदस्य	(1) श्री नंदकुमार सेकसरिया (2) श्री अभयसिंह भरकतिया
11	संस्थान के शिक्षकों द्वारा चयनित तीन सदस्य	(1) प्रो. मिलिंद दांडेकर (2) प्रो. राजेश धाकड (3) प्रो. कृष्णकांत धाकड
12	एस.जी.एस.आय.टी.एस. एलुमिनी एसोसिएशन इंदौर द्वारा नामित एक सदस्य	इंजीनियर संदीप कंसल, प्रेसीडेंट एलुमिनी एसोशिएसन, एसजीएसआयटीएस, इंदौर आमंत्रित सदस्य
13	शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघ, एसजीएसआयटीएस, इंदौर द्वारा नामित एक सदस्य	श्री बी.के. बिलावर अध्यक्ष, शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघ आमंत्रित सदस्य (श्री बी.के. बिलावर)
14	निदेशक, श्री गो.से. प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, इंदौर	प्रो. राकेश सक्सेना निदेशक एवं सदस्य सचिव,शासी नकाय

शासी निकाय के माननीय सदस्यों द्वारा दिनांक 28.12.2021 से तीन वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 27/12/2024 तक शासी निकाय के गठन का अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद क्र. 125–02: संस्थान की प्रबंधन समिति, वित्त समिति एवं परिवेदना समिति के पुर्नगठन का अनुमोदन ।

(अ) संस्थान की प्रबंधन समिति का गठन:

1. प्रमुख सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास,मध्यप्रदेश शासन – अध्यक्ष
2. आयुक्त/संचालक, तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश – सदस्य
3. शासी निकाय में शिक्षक वर्ग से नामित एक सदस्य – सदस्य (डॉ. मिलिंद दांडेकर)
4. शासी निकाय के दो अन्य स्थानीय सदस्य – सदस्य
   1. श्री अभयसिंह भरकतिया
   2. श्री मनीष गुप्ता
5. संस्था के निदेशक – सदस्य सचिव

अविरत ...5/-

(ब) संस्थान की वित्त समिति का गठन :

1.	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	– पदेन अध्यक्ष
2.	संचालक/आयुक्त तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल	– पदेन सदस्य
3.	ए.आई.सी.टी.ई. के क्षेत्रीय अधिकारी, भोपाल	– पदेन सदस्य
4.	शासी निकाय के सदस्य शिक्षक प्रतिनिधियों में से नामांकित एक सदस्य	– सदस्य (प्रो. मिलिंद दांडेकर)
5.	संस्थान के वित्त अधिकारी	– श्री राहुल मिश्रा (शासन द्वारा प्रतिनियुक्त)
6.	संस्थान के निदेशक	– पदेन सदस्य सचिव

(स) संस्थान की अपील एवं ग्रीवेंस कमेटी का गठन:

1.	आयुक्त/संचालक तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल	– अध्यक्ष
2.	अध्यक्ष, शासी निकाय द्वारा नामित वकील या न्यायपालिका का एक सदस्य**	– सदस्य ( )
3.	शासी निकाय द्वारा नामित एक शिक्षक प्रतिनिधि	– सदस्य (प्रो. राजेश धाकड)
4.	संस्थान के लीगल कार्यों से संबंधित प्रोफेसर इंचार्ज/अधिकारी	– सदस्य (रजिस्ट्रार)

**शासी निकाय में लिये गये निर्णयानुसार न्यायपालिका के एक सदस्य के रूप में सेवानिवृत्त न्यायाधीश अथवा अधिवक्ता के नाम संस्थान निदेशक अध्यक्ष महोदय को देकर उनमें से किसी एक को नियुक्त करने हेतु अनुरोध करेंगे।

शासी निकाय द्वारा निर्धारित पूर्व संरचना के अनुसार 28/12/2021 से आगामी तीन वर्ष अर्थात् 27/12/2024 तक के लिए प्रबंधन समिति, वित्त समिति तथा अपील एवं ग्रीवेंस कमेटी के गठन का अनुमोदन किया गया।

इस मद में उल्लेखित अंतिम पेरा "**माननीय उच्च न्यायालय . . . . . निर्वहन करेंगे" को विलोपित करने का निर्णय लिया गया ।

मद क्र. 125–03: संस्थान के शासी निकाय की 123वीं बैठक दिनांक 30 अगस्त, 2019 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।

शासी निकाय की 123वीं बैठक के कार्यवृत्त पर श्री अभयसिंह भरकतिया, शिक्षक एवं गैर शिक्षक प्रतिनिधियों की ओर से टिप्पणियां प्राप्त हुई थीं जिन्हें 125वीं बैठक के एजेंडा में सम्मिलित नहीं किया गया है जिस पर उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज की। 123वीं बैठक में आपत्तियों को शामिल कर पुनः कार्यवृत्त की टिप्पणियों को समोहित कर पुनर्लेखण कर प्रस्तुत करें।

इस मद पर चर्चा के दौरान निम्नलिखित नये निर्णय लिये गये:–

1/ मद क्र.123–8: संस्थान के विभिन्न विभागों में गैर शिक्षकीय कर्मचारियों (विशेषकर तकनीकी पदों पर) की आवश्यकता के मद्देनजर नये पदों के सृजन करने संबंधी प्रस्ताव पर यह निर्णय लिया

अविरत ...6/..

गया कि एक समिति बनाकर पहले उपरोक्तानुसार विस्तृत जानकारी तैयार कर ली जावे । साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि संस्थान के कर्मचारियों के लिए मध्यप्रदेश शासन के नियमों के प्रकाश में 'सेवा भर्ती नियम' बनाकर तथा राज्य शासन द्वारा निर्धारित रोस्टर का अनुपालन करते हुए वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों को शासकीय पदोन्नति योजना का लाभ पहले दिया जाए एवं रिक्तियां के अनुसार ही भर्ती की कार्यवाही की जाए।

उपरोक्तानुसार कार्यों के संपादन हेतु गठित समिति सीधी भर्ती के माध्यम से पद भरे जाने पर संभावित वित्तीय भार एवं संस्थान की वित्तीय स्थिति के मद्देनजर अपनी अनुशंसा करेगी । इस समिति की अनुशंसा पहले संस्थान की प्रबंधन समिति के समक्ष रखी जाएगी एवं प्रबंधन समिति पुनः इसका आकलन कर अपनी रिपोर्ट/अनुशंसा देगी जो कि शासी निकाय के समक्ष निर्णय हेतु रखा जाएगा । शासी निकाय के अनुमोदन के उपरान्त ही सीधी भर्ती के माध्यम से पदों को भरने की कार्यवाही की जाएगी ।

2/ संस्थान के वित्तीय विवरण एवं बजट प्रावधान मार्च में ही अनुमोदित हो जाना चाहिए इसलिए वित्त समिति की बैठक मार्च माह में हो जाना चाहिए एवं बजट को मार्च माह में ही शासी निकाय से अनुमोदन भी करा लिया जाए।

3/ शिक्षक प्रतिनिधियों ने सदन को अवगत कराया कि संस्थान के रजिस्ट्रार का पद पिछले छः साल से रिक्त है और उस पर वर्तमान में प्रभारी रजिस्ट्रार के रूप में श्री दीपक शर्मा पदस्थ हैं । अतः संस्थान के विकास के लिए एक क्वालीफाईड रजिस्ट्रार की आवश्यकता हेतु नियमानुसार नियुक्ति की जाए जैसा कि अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में होता है।

उपरोक्तानुसार संशोधनों के साथ शासी निकाय की 123वीं बैठक के पुनर्लेखित कार्यवृत्त का पुष्टिकरण लिया जाए।

मद क्र. 125–04: संस्थान के शासी निकाय की 123वीं बैठक दिनांक 30 अगस्त, 2019 में लिये गये निर्णयों पर संस्थान द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण।

कार्यवाही का विस्तृत विवरण एवं संबंधित आदेश का क्रमांक एवं तारीख उल्लेखित होना चाहिए । साथ ही संबंधित आदेश भी संलग्न होना चाहिए। यदि आगामी बैठक तक कार्यवाही नहीं की गई है तो उसमें उल्लेख करना चाहिए कि निर्णयानुसार कार्यवाही कब तक पूर्ण हो जाएगी। अतः संस्थान द्वारा की गई कार्यवाही विवरण एवं पालन प्रतिवेदन को पूर्ण कर प्रस्तुत करें एवं संशोधन रिकार्ड पर ले लिया जाए। रोस्टर बनाकर सामान्य प्रशासन विभाग से अभिमत लिया जाए । रोस्टर के लिए शिक्षक प्रतिनिधि सदस्यों को भी कमेटी में रखे जाने का निर्णय हुआ।

सेक्शन–8 कंपनी में संस्थान के निदेशक के रूप में ही पदेन डायरेक्टर रखा जाए एवं रजिस्ट्रार कंपनीज में इस हेतु रजिस्ट्रेशन करा जाए। ए.टी.आर. में पालन प्रतिवेदन भी लगाए जाए। संस्थान के खातों के नाम बदलने की सूचना भी शासी निकाय को नहीं दिया जाने पर आपत्ति की ।वित्त सचिव के सुझाव पर संस्थान में वित्तीय अनियमिताओं की जांच के लिए एक जांच समिति गठित करने का जिम्मा उपाध्यक्ष शासी निकाय को दिया ।

वित्त का मामला ठीक करने, आपत्तियों के निराकरण करने एवं जांच कमेटी गठित करने की बात अध्यक्ष शासी निकाय ने कही ।

अविरत ....7/..

उपरोक्त सभी संशोधनों के साथ प्रस्तुत कर शासी निकाय के कार्यवृत्त का अनुमोदन लिया जाए।

मद क्र. 125–05: संस्थान के शासी निकाय की 124वीं असाधारण बैठक दिनांक 8 अप्रैल, 2021 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।

124वीं असाधारण बैठक के कार्यवृत्त पर जो भी आपत्तियां प्राप्त हुई हैं उनको समाहित कर कार्यवृत्त का पुर्नलेखण कर प्रस्तुत करें। इस बैठक में उपरोक्तानुसार पुनर्लेखित शासी निकाय के कार्यवृत्त का शासी निकाय से अनुमोदन लिया जाए। गेट–2020 को विलोपित कर शासी निकाय में समस्त तथ्यों एवं आंकड़ों के साथ शासी निकाय की आगामी बैठक में अनुशंसा करने की गई थी। साथ ही टेक्यूप स्टाफ एवं सीआईडीआई स्टाफ की सैलरी के मामले को भी सस्टेनेबल प्लान बनाकर शासी निकाय की आगामी बैठक में रखा जाए।

मद क्र. 125–06: संस्थान के शासी निकाय की 124वीं असाधारण बैठक दिनांक 8 अप्रैल, 2021 में लिये गये निर्णयों पर संस्थान द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण।

शासी निकाय की 124वीं असाधारण बैठक के पुनर्लेखित कार्यवृत्त पर की गई कार्यवाही का अनुमोदन लिया जाए ।

पूर्व अध्यक्ष, शासी निकाय द्वारा डॉ. राकेश सक्सेना को दिये गये तीन वर्ष के सेवा विस्तार को उपयुक्त नहीं माना गया और यह निर्णय लिया कि चूंकि डॉ. सक्सेना का कार्यकाल समाप्त हो रहा है अतः इस प्रकरण को यही पर समाप्त कर आगे चयन प्रक्रिया के माध्यम से नये निदेशक की नियुक्ति की जाए।

मद क्र. 125–07: संस्थान की वित्त समिति की 70वीं बैठक दिनांक 08/04/2022 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

वित्त समिति की 70वीं बैठक दिनांक 8.4.2022 के कार्यवृत्त पर चर्चा दौरान शिक्षक प्रतिनिधि की आपत्ति की टिप्पणी के आधार पर पुनर्लेखित करने को कहा गया । साथ ही वित्त विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए एकाउंटिंग में सुधार हेतु कहा गया । साथ ही संस्थान के कई बैंक अविरत खातों को सुसंगत एवं नियमानुसार करते हुए न्यूनतम खाते रखे जाये तथा एवं सभी का आडिट भी कराने एवं सभी लेनदेन संस्थान के बही में दर्ज करने के लिए कहा गया ।

आगे परीक्षण के लिए एक जांच कमेटी बनाने हेतु कहा गया एवं संस्थान के लेखा विवरण में इंट्री आदि सभी को जांच होने पर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। डायरेक्टर के साथ–साथ वित्त अधिकारी के भी हस्ताक्षर चैक में सम्मिलित करने हेतु कहा गया ।

संस्थान निदेशक द्वारा यह भी बताया गया कि वित्त विभाग से एक पूर्णकालिक वित्त अधिकारी की नियुक्ति प्रतिनियुक्ति पर संस्थान में की जाती है तथा वर्तमान में श्री राहुल मिश्रा पदस्थ हैं। उनके पास दूसरे विभाग का मुख्य प्रभार है एवं संस्थान का अतिरिक्त प्रभार है।

शासी निकाय द्वारा यह निर्णय लिया गया कि 31 मार्च 2024 से पहले वित्त समिति की बैठक आयोजित कर नया वित्त वर्ष चालू होने से पहले शासी निकाय से बजट अनुमोदन कराने का निर्णय हुआ।

अविरत ....8/..

संस्थान के एक कर्मचारी को एक अनुसूचित जनजाति के छात्र से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद भी एफ.आई.आर. न करने पर Prevention of Corruption Action का जो उल्लंघन किया है उस पर अप्रसन्नता व्यक्त की।

मद क्र. 125–08: संस्थान की वित्त समिति की 71वीं बैठक दिनांक 05/04/2023 का पुष्टिकरण।

वित्त समिति की 71वीं बैठक के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण करते समय निम्नलिखित निर्णय लिये गये:–

1/ संस्थान के वित्तीय स्थिति में सुधार हेतु छात्रों से लिये जाने वाले शिक्षण शुल्क में बढ़ोतरी आवश्यक है । वर्तमान में नियमित पाठ्यक्रमों के लिए जो शुल्क ली जा रही है वह निजी कॉलेजों में आधे के बराबर है। अतः इसमें तुरंत क्रमिक बढ़ोतरी की जाए ताकि छात्रों पर अनावश्यक वित्तीय भार न आए।

2/ माननीय सदस्यों ने वित्त समिति की 71वीं बैठक दिनांक 05 अप्रैल, 2023 के कार्यवृत्त का अवलोकन कर पुष्टिकरण करते हुए यह निर्देशित किया की 71वीं बैठक के मिनट्स पर जो आपत्तियां प्राप्त हुई थीं उन्हें रिकार्ड में लेकर पुनलेखित किया जाए।

मद क्र. 125–09: संस्थान के निदेशक के पद हेतु विज्ञापन जारी कर एवं इस हेतु की गई अब तक की कार्यवाही का पुष्टिकरण।

संस्थान निदेशक डॉ. राकेश सक्सेना का कार्यकाल 11 अप्रैल, 2024 को समाप्त हो रहा है, अतः उनके द्वारा नये निदेशक की नियुक्ति हेतु अध्यक्ष, शासी निकाय से अनुमोदन लेकर नियुक्ति की कार्यवाही प्रारंभ की गयी थी तथा अब तक की गई कार्यवाही का संपूर्ण विवरण संलग्न करते हुए सदन को अवगत कराया गया। उन्होंने यह भी बताया कि इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर में याचिकाएं लंबित हैं जो कि शिक्षक प्रतिनिधियों एवं श्री जीएस टेक्नालॉजीकल सोसायटी की ओर से लगाई गयी है।

शासी निकाय के शिक्षक प्रतिनिधियों ने निदेशक पद पर नियुक्ति हेतु अब तक की गई कार्यवाही को उचित नहीं माना । उनका कहना था कि संस्थान निदेशक स्वयं एक प्रत्याशी हैं, अतः इससे अन्य प्रत्याशियों के हित प्रभावित हो सकते हैं। साथ ही निदेशक पद पर भर्ती हेतु निर्णय लेने का संपूर्ण अधिकार शासी निकाय को है न कि अध्यक्ष, शासी निकाय को। संस्थान में निदेशक चयन की संपूर्ण प्रक्रियाओं का निर्धारण शासी निकाय की बैठक में किया जाता है।

अतः उपरोक्त के प्रकाश में शासी निकाय द्वारा संस्थान के निदेशक पद पर नियुक्ति हेतु अब तक की गई संपूर्ण कार्यवाही को निरस्त किया गया जिससे कि इस मामले में लंबित याचिका को निरस्त कराया जा सके। अब निदेशक पद हेतु एआईसीटीई के अनुसार निदेशक पद हेतु निर्धारित अर्हता, अनुभव अनुरूप विज्ञापन से लेकर भर्ती तक संपूर्ण कार्यवाही शासी निकाय के निर्णयानुसार की जावेगी ।

निदेशक की नियुक्ति का अधिकार केवल शासी निकाय को है ।अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में निदेशक पद पर भर्ती हेतु की गई समस्त प्रक्रिया निरस्त की गई।

अतः निर्णय हुआ कि निदेशक पद पर भर्ती हेतु प्रक्रिया मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा विभाग के स्तर पर प्रारम्भ की जावेगी तथा इस हेतु नया विज्ञापन जारी किया जाएगा।

अविरत .... 9/..

मद क्र. 125–10: संस्थान के असिस्टेंट प्रोफेसर के अतिरिक्त पदों की स्वीकृति एवं भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर अब तक की कार्यवाही का पुष्टिकरण।

निर्णय लिया गया कि संस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर के अतिरिक्त पदों पर भर्ती हेतु एक समिति बनाकर एवं भर्ती पर होने वाले वित्तीय भार का आंकलन कर अनुशंसा ली जाए एवं एआईसीटीई एवं एनबीए के नियमानुसार पद का जो तालिका बनाई गयी थी उसमें रोस्टर के अनुसार नियमों का पालन करते हुए भर्ती की कार्यवाही की जावे।

अब संस्थान में समस्त पदों पर भर्ती आदि के लिए शासी निकाय के शिक्षक प्रतिनिधियों सहित एक समिति बनाई जाएगी जो कि गुणावगुण के आधार पर रिक्त पदों पर अपनी अनुशंसा करेगी। कमेटी की अनुशंसा मैनेजिंग कमेटी से पारित करवाकर शासी निकाय में प्रस्तुत किया जाएगा।फिर शासी निकाय के अनुमोदन उपरान्त भर्ती की कार्यवाही की जाएगी।

संस्थान की वित्तीय स्थिति को देखते हुए निर्णय लिया कि संस्थान में शुल्क जो अभी बहुत कम है को संस्थान की वित्तीय स्थिति के अनुरूप करने की अनुमति प्रदान की गई।

मद क्र.125–11: संस्थान में वर्ष 2018 में नियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर के परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के उपरांत नियमितीकरण का अनुमोदन ।

संस्थान द्वारा वर्ष 2018 में नियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि के उपरान्त नियमितीकरण के दो आदेश जारी किये गये हैं । ज्ञातव्य हो कि कुछ नियुक्तियों पर भर्ती हेतु आवेदनकर्ता की ओर से माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर में याचिकाएं दायर की गई है तथा वर्तमान में लंबित है।

निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि जिन अभ्यर्थियों द्वारा अनियमितता की शिकायतें कर माननीय माननीय उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर की गई थीं उनमें से कई दूसरी जगह पर नियुक्त हो चुके हैं एवं पिछले 6 साल में कोई भी याचिकाकर्ता सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुआ है।

अतः संस्थान द्वारा वर्ष 2018 में नियुक्त शिक्षकों में से 18 के लिए शासी निकाय में अनुमोदन की प्रत्याशा में आदेश क्र.**Pers/2022/680 dtd. 9.11.2022** तथा शेष 9 के लिए आदेश क्र. **Pers/2022/720 dtd. 23.11.2022** माननीय उच्च न्यायालय में चल रहे प्रकरणों पर दिये गये निर्णय एवं शासी निकाय के अनुमोदन की प्रत्याशा में जारी किया गया है। माननीय न्यायालय का निर्णय इन सभी 9 शिक्षकों को मान्य होगा ।

अतः उपरोक्त के प्रकाश में शासी निकाय ने वर्ष 2018 में नियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसरस के नियमितीकरण का अनुमोदन किया।

मद क्र.125–12: संस्थान में आवश्यकतानुसार तकनीकी एवं गैर शिक्षक रिक्त पदों के भर्ती हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ करने का अनुमोदन।

संस्थान में आवश्यकतानुसार तकनीकी एवं गैर शिक्षक रिक्त पदों पर भर्ती हेतु जो प्रस्ताव रखा गया उस पर यह निर्णय लिया कि चूंकि संस्थान में रजिस्ट्रार का केवल एक ही पद है जो रोस्टर के अन्तर्गत नहीं आता है अतः इसे भरा जा सकता है। संस्थान के प्रशासनिक एवं एकाडेमिक कार्यों के सुचारू संचालन एवं विकास को देखते हुए केवल रजिस्ट्रार के रिक्त पद को ही भरा जाए। विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में रजिस्ट्रार पद हेतु निर्धारित अर्हता,योग्यता एवं अनुभव के अनुसार भर्ती की कार्यवाही की जाए।

अविरत .... 10/..

शासन के नियमों के परिप्रेक्ष्य में संस्थान में एक समिति बनाकर रोस्टर के अनुसार नियमों सहित पदोन्नति एवं सीधी भर्ती के लिए अनुशंसा शासी निकाय की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाए जिससे कि उस पर निर्णय लिया जा सके ।

प्रस्ताव में वर्णित अन्य पदों पर भर्ती के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान में संस्थान की आवश्यकता एवं वित्तीय स्थिति को देखते हुए किन किन पदों को भरा जाना है या भरने की आवश्यकता है के परीक्षण एवं सिफारिश के लिए इस प्रकरण को संस्थान द्वारा गठित समिति जो कि भर्ती प्रक्रिया, सेवा भर्ती नियम एवं रोस्टर आदि के लिए बनाई जाएगी को सौंप दिया जाए।

शासी निकाय ने कर्मचारियों के लिए पदोन्नति योजना को स्वीकृत करते हुए यह निर्णय लिया कि संस्थान में पदोन्नति करने के बाद सीधी भर्ती के पदों को रोस्टर बनाकर समिति की अनुशंसा को शासी निकाय से पारित कराकर सीधी भर्ती की जाए। पदोन्नति के लिए एक कमेटी बनाकर जिसमें शिक्षक प्रतिनिधि हो, शासन के दिशानिर्देशों के अनुरूप पदोन्नति की कार्यवाही की जाए तथा शासी निकाय की अगली बैठक में की गई कार्यवाही से अवगत कराया जाए।

मद क्र.125–13: संस्थान में पूर्व में आकस्मिकता (contingency) के अन्तर्गत नियुक्त कर्मचारियों का उनकी पात्रता दिनांक या प्रथम नियुक्ति दिनांक से नियमितीकरण का कार्योत्तर अनुमोदन ।

संस्थान में शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए मध्यप्रदेश शासन का ग्रांट इन एड इंस्टीट्युन्स रूल्स लागू है तथा शासी निकाय द्वारा स्वीकार किया गया है जिसके अन्तर्गत संस्थान के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को शासकीय शिक्षकों एवं कर्मचारियों के समकक्ष वेतन, भत्ते, वार्षिक वेतन वृद्धि एवं अन्य लाभ देय हैं तथा संस्थान द्वारा दिया जा रहा है।

ज्ञातव्य हो कि संस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति पहले दैनिक वेतन भोगी के रूप में की जाती थी तथा कुछ वर्ष उपरान्त रिक्त कांटीजेंसी के पदों पर नियुक्त किया जाता था। कांटीजेंसी के पदों पर कार्यरत कर्मियों के लिए कांटीजेंसी रूल्स के अनुसार तीन वर्ष के उपरान्त रिक्त नियमित पद पर अस्थायी नियुक्ति का प्रावधान है। तदनुसार संस्थान के कर्मचारियों द्वारा इस संबंध में राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी आदेशों/दिशानिर्देशों के अनुरूप उन्हें तीन वर्ष उपरान्त नियमित वेतनमान में अस्थाई नियुक्ति देने हेतु निवेदन किया गया था । साथ ही कर्मचारियों के संघ द्वारा भी मांग की गई थी। अतः कर्मचारियों को शासन द्वारा जारी आदेशों–निर्देशों के अनुरूप संस्थान

स्तर पर एक कमेटी गठित कर आवासीय अंकेक्षण से वेतन नियतन एवं शासी निकाय से कार्योत्तर अनुमोदन की प्रत्याशा लाभ काफी पहले दिया जा चुका है एवं वर्तमान में संस्थान पर किसी प्रकार का वित्तीय भार संभावित नहीं है।

चूंकि शासी निकाय की बैठकें नियमित अंतराल में नहीं हो पाई इसलिए तत्समय शासी निकाय से इसका कार्योत्तर अनुमोदन नहीं हो पाया जिसके लिए शासी निकाय द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया । इस प्रकार के कोई भी कार्य भविष्य में जो भूतलक्षी प्रभाव से किया जाना है शासी निकाय की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् ही किया जाएगा।

125–14: संस्थान के समस्त गैर शिक्षक कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन द्वारा लागू समयमान वेतनमान का लाभ दिये जाने का कार्योत्तर अनुमोदन।

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल द्वारा कॉमन केडर के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों को समयमान योजना का लाभ देने हेतु जारी आदेश संचालनालय तकनीकी शिक्षा मध्यप्रदेश

अविरत 11/-

द्वारा संस्थान को पृष्ठांकित किया गया था एवं तदनुसार देय था । चूंकि संस्थान के कर्मचारियों को शासकीय कर्मचारियों के समकक्ष क्रमोन्नति योजना का लाभ दिया जा रहा था तथा पदोन्नति योजना संस्थान में प्रभावशील नहीं थी, इसलिए उसके स्थानापन्न (alternatve) योजना के रूप में सभी कर्मचारियों को क्रमोन्नति योजना बंद कर समयमान योजना का लाभ दिया गया है। इसके अन्तर्गत कॉमन केडर के अतिरिक्त अन्य कर्मचारियों को देय समयमान योजना का अनुमोदन शासी निकाय से लेना था जैसा कि आडिट की आपत्ति थी।

समयमान योजना में दिये गये प्रावधानों के अनुसार जिन कर्मचारियों को संस्थान में ही उच्च पद का लाभ दिया गया है को भी समयमान का लाभ दिया जा सकता है एवं संस्थान द्वारा दिया गया है। शासन के आदेशानुसार 35 वर्ष की सेवा अवधि के उपरान्त पात्र कर्मचारियों को चतुर्थ समयमान भी देय होगा। यहां यह भी उल्लेखित है कि संस्थान निदेशक तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए नियुक्तिकर्ता अधिकारी हैं तथा उन्हें अपने स्तर पर कर्मचारियों को शासन के अन्तर्गत देय समस्त लाभ दिये जाने के अधिकार हैं।

चूंकि समयमान योजना को लागू हुए करीब पन्द्रह वर्षों से अधिक समय हो गया है तथा इस संबंध में तकनीकी शिक्षा संचालनालय द्वारा उनके पत्र क्र. /यो/05/ई/2017/1830, भोपाल दिनांक 24.11.2017 द्वारा संस्थान को यह सूचित किया गया कि संस्था अशासकीय अनुदान प्राप्त संस्था एवं संस्था की स्वयं की बीओजी (शासी निकाय) है इसलिए भविष्य में बी.ओ.जी. से अनुमोदन लेकर ही नियमानुसार कार्यवाही करें।

उपरोक्त के प्रकाश में चर्चा उपरांत कर्मचारियों को दिये गये समयमान योजना की कार्योत्तर स्वीकृति दी गई।

मद क्र.125–15: संस्थान में संविदा आधार पर पूर्व में कार्यरत गैर शिक्षक कर्मचारियों के नियमितीकरण का कार्योत्तर अनुमोदन।

राज्य शासन द्वारा जारी आदेश/पत्र क्रमांक सी–5–2/2018/1/3 दिनांक 5 जून 2018 के परिपालन एवं संस्थान स्तर पर एक समिति गठित कर उसकी अनुशंसा के अनुसार निम्नलिखित कर्मचारियों को जो कि संस्थान में कई वर्षों से संविदा आधार पर कार्यरत थे को रिक्त नियमित पदों पर नियुक्तियां प्रदान की गई है।

क्र.	कर्मचारी का नाम (सर्वश्री)	पदनाम	संस्थान में प्रथम नियुक्ति दिनांक	कुल सेवा अवधि
1	श्री वैभव महेश्वरकर	क्लेरिकल असिस्टेंट	अगस्त 2004	18 वर्ष
2	राखी ब्रम्हांडकर सप्रे	–तदैव–	दिसंबर 2005	17 वर्ष
3	वैशाली कापडी	–तदैव–	दिसंबर 2005	17 वर्ष
4	मुकेश मकवाना	–तदैव–	दिसंबर 2005	17 वर्ष
5	मुकेश छतवानी	–तदैव–	अप्रैल 2006	16 वर्ष
6	सुनील कुमार दुबे	–तदैव–	सितम्बर, 2014	08 वर्ष
7	चंद्रदीप चटर्जी	–तदैव–	सितम्बर, 2014	08 वर्ष
8	सुरेन्द्र कुमार मिश्रा	लाईब्रेरी असिस्टेंट	फरवरी, 2003	19 वर्ष
9.	विलास पाटील	लेब टेक्नीशियन	वर्ष 2008	14 वर्ष
10.	अंकुर गुप्ता	–तदैव–	वर्ष 2011	11 वर्ष
11.	भगवान लाल	प्लम्बर	वर्ष 2002	20 वर्ष
12.	वैभव भट्ट	इलेक्ट्रीशियन	वर्ष 2015	7 वर्ष

अविरत 12

यह कार्य जबलपुर, रीवा में कैसे किया गया है उसी प्रकार किए जाने का सुझाव दिया गया । चूंकि शासी निकाय की बैठक न होने के कारण मध्यप्रदेश शासन से प्राप्त दिशानिर्देशानुसार संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की कार्यवाही एक समिति के माध्यम से की गई है ।

अतः शासी निकाय द्वारा संस्थान स्तर पर संविदा कर्मियों के नियमितीकरण का कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया ।

मद क्र.125–16: संस्थान परिसर में श्री गोविंदराम सेकसरिया जी की मूर्ति स्थापना करने के संबंध में अनुमोदन करने हेतु प्रस्ताव ।

संस्थान परिसर में सेठ श्री गोविंदराम सेकसरिया जी के कांसे की आदमकद प्रतिमा लगाने के संबंध में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि पहले श्री जी.एस. टेक्नालॉजीकल सोसायटी माननीय उच्चन्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर में दायर दो याचिकाएं वापस लें ।संस्थान का नाम यथावत 'श्री गोविंदराम सेकसरिया टेक्नालॉजी एण्ड साईंस, इंदौर' रहेगा।

रा.गा.प्रौ.वि.वि. , भोपाल के कुलपति महोदय ने बताया कि पूर्व अध्यक्ष, शासी निकाय एवं माननीय मंत्री, तकनीकी शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा माननीय न्यायालय में दायर याचिकाएं जो कि संस्थान को डीम्ड युनिवर्सिटी का दर्जा दिये जाने के संबंध में था उनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। उक्त समिति की बैठक जो कि रा.गा.प्रौ.वि.वि. भोपाल में सम्पन्न हुई थी में श्री जीएस टेक्नालॉजीकल सोसायटी के अध्यक्ष एवं सदस्यों ने यह सहमति दी थी कि यदि समिति की अनुशंसा मान्य की जाती है तो वे अपनी ओर से माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिकाएं वापस ले लेंगे।

डॉ. डी.बी. फाटक जो कि बैठक में उपस्थित थे ने कहा कि चूंकि सोसायटी की ओर से उनके अध्यक्ष जस्टिस पी.पी. नावलेकर एवं सदस्य श्री नंदकुमार जी सेकसरिया बैठक में उपस्थित नहीं है, अतः याचिकाएं वापस लेने के संबंध में सोसायटी के सदस्यों से विचार विमर्श कर अवगत कराया जाएगा। सोसायटी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर में दायर याचिकाएं वापस होने के उपरान्त ही संस्थान परिसर में सेठ श्री गोविंदराम सेकसरिया की प्रतिमा लगाने का निर्णय लिया गया ।

मद क्र.125–17:. संस्थान में संविदा आधार पर कार्यरत प्राध्यापकों के समेकित वेतन में बढ़ोत्तरी का अनुमोदन करने हेतु प्रस्ताव ।

शासी निकाय ने संस्थान में संविदा आधार पर कार्यरत शिक्षकों के समेकित वेतन में बढ़ोत्तरी के संबंध में रखे प्रस्ताव पर गहनता से चर्चा की तथा यह निर्णय लिया कि चूंकि सातवें वेतनमान में शिक्षकों के वेतन में काफी बढ़ोत्तरी हुई है एवं सामान्यतः संविदा/अतिथि शिक्षकों के वेतन का निर्धारण एआईसीओई द्वारा देय पद के मूल वेतन के बराबर होता है। मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार अतिथि विद्वानों को अधिकतम रु.50,000/– मासिक समेकित वेतन निर्धारित किया गया है। संस्थान में नियुक्त संविदा शिक्षक जो पी.एच.डी. धारक रहते हैं एवं अन्य गैर पी.एच.डी. धारक रहते हैं, उनमें वेतन का अंतर अभी तक रहता आया है । अतः नॉन पी.एच.डी. धारक शिक्षकों को रु.30,000/– से रु.45,000/– एवं पी.एच.डी. धारकों को रु.35,000/– से रु.50,000/– दिये जाने का निर्णय लिया गया ।

साथ ही यह निर्णय हुआ कि इनका फिक्स 10 प्रतिशत टीडीएस न काटते हुए इनके स्लैब के अनुसार आयकर काटने के लिए सीए के साथ चर्चा उपरान्त आयकर स्लैब के अनुसार आयकर कटोत्रा का निर्णय हुआ।

अविरत ....13/..

मद क्र.125–18 : संस्थान में अनुकम्पा पर नियुक्त कर्मचारियों की नियुक्ति दिनांक से नियमानुसार नियमित वेतनमान में नियुक्ति दिये जाने के संबंध में।

राज्य शासन द्वारा जारी अनुकम्पा नियुक्ति आदेशों के अनुसार दिवंगत कर्मचारियों के परिजनों को उनकी प्रथम नियुक्ति दिनांक से ही अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान है, जबकि संस्थान द्वारा पूर्व में इस नियम का पालन नहीं किया गया और उन्हें अस्थायी/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में नियुक्ति दी गई थी, जबकि पद भी रिक्त थे और बाद में उनका नियमितीकरण भी किया गया जिससे उनकी सेवा अवधि एवं अन्य लाभों का नुकसान हो रहा था जिसके लिए अनुकम्पा पर नियुक्त कर्मचारियों द्वारा संस्थान से निवेदन किया गया था। यह यहां भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान में संस्थान में अनुकम्पा आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति शासन के आदेश के परिपालन में प्रथम नियुक्ति दिनांक से ही दी जा रही है।

अतः उक्त के परिप्रेक्ष्य में संस्थान द्वारा एक समिति गठित कर अनुशंसा अनुसार इन कर्मचारियों को संस्थान के आदेश क्रमांक स्था/अनुकम्पा/व्य/2019/989 दिनांक 29/11/2019 द्वारा इन कर्मचारियों को संस्थान में प्रथम नियुक्ति दिनांक से नियमित नियुक्तियाँ प्रदान की गयी हैं।

चूंकि ये प्रकरण काफी पुराने हैं एवं संबंधित कर्मचारियों को सारे लाभ पूर्व में ही दिये जा चुके हैं तथा संस्थान पर किसी प्रकार का वित्तीय भार संभावित नहीं है। अतः शासी निकाय द्वारा अनुकम्पा पर नियुक्त कर्मचारियों को उनकी प्रथम नियुक्ति दिनांक से दिये गये नियमितीकरण की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।

मद क्र.125–19: संस्थान के विकास हेतु देश एवं विदेश के एलुमिनी के द्वारा दिये जाने वाले वित्तीय योगदान के अन्तर्गत कारपस फण्ड के रूप में एकाउण्ट खोलने हेतु प्रस्ताव ।

निर्णय लिया गया कि केन्द्र सरकार एवं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमानुसार एसजीएसआयटीएस, इंदौर के नाम से स्टेट बैंक आफ इंडिया के दिल्ली शाखा में 'एलुमिनी कारपस फण्ड' का एक खाता खोला जाए ।

यह भी निर्णय लिया गया कि इस फण्ड से राशि आहरण हेतु एवं खर्चे करने हेतु संस्थान में समिति बनाकर सिग्नेचर कौन कौन करेगा आदि का निर्णय लेकर शासी निकाय से अनुमोदन कराकर कार्यवाही करी जाए ।

माननीय उच्च न्यायालय में संस्थान के रजिस्ट्रार माननीय मंत्री महोदय की तरफ से उनकी अनुमति के बिना दायर याचिकाओं पर जो रिप्लाई फाईल किया गया है उस पर माननीय मंत्री महोदय द्वारा अनुचित बताते हुए ऐसा नहीं किये जाने का निर्देश दिया । प्रकरण की स्थिति में मंत्री महोदय से अनुमति के पश्चात् ही माननीय उच्च न्यायालय में उत्तर प्रस्तुत किया जाए।

अध्यक्ष की अनुमति से रखे अन्य मद

मद क्र.125–20–1: संस्थान में पीएचडी पाठ्यक्रमों में शोधार्थियों की घटती संख्या के संबंध में।

संस्थान द्वारा पीएचडी पाठ्यक्रमों में प्रतिवर्ष शिक्षण शुल्क की राशि रु.62,000/– निर्धारित की गई है छात्रों की संख्या में दिनों दिन कमी होती जा रही है क्योंकि इनमें से अधिकांश शोधार्थी दूसरे संस्थानों में शिक्षक के रूप में कार्यरत रहते है और केवल उच्च अध्ययन के लिए संस्थान में प्रवेश लेते हैं। ए.आई.सी.टी.ई./संस्थान की ओर से इनको किसी तरह का इन्सेंटिव या स्कालरशिप नहीं दी जाती है।

अविरत ....14/..

उचित होगा कि संस्थान में पीएचडी हेतु प्रवेश लेने वाले शोधार्थियों से ली जाने वाली शिक्षण शुल्क की राशि कम करी जाए और उनसे उनके शोध कार्यों के अतिरिक्त टीचिंग असिस्टेंट के रूप में अध्यापन का कार्य लिया जाए जिससे संस्थान में शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ेगी और संविदा पर नियुक्त शिक्षकों की संख्या में कमी जाएगी ।

अतः शासी निकाय द्वारा उपरोक्त के प्रकाश में संस्थान हित को देखते हुए पीएचडी करने वाले शोधार्थियों से शिक्षण शुल्क में कमी कर उनसे अध्यापन का कार्य करवाये जाने का निर्णय लिया गया ।

अंत में सभी को धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त की गई।

(डॉ. राकेश सक्सेना)
सदस्य सचिव, शासी निकाय
एवं
निदेशक,एस.जी.एस.आय.टी.एस., इंदौर

(श्री मनु श्रीवास्तव)
अपर मुख्य सचिव
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
मध्यप्रदेश शासन, भोपाल

(माननीय श्री इन्दरसिंह परमार)
अध्यक्ष,शासी निकाय,
एसजीएसआयटीएस, इंदौर
एवं
मंत्री, तकनीकी शिक्षा विभाग,मध्यप्रदेश शासन